न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 16/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा, मैसर्स एनपीएस फूड्स, प्राईवेट बस स्टैण्ड के पास, अजमेर।
2. मैसर्स एनपीएस फूड्स, प्राईवेट बस स्टैण्ड के पास, अजमेर।
3. नेहा शर्मा पत्नि श्री पर्व शर्मा, सन्त कंवरराम सर्किल, आदर्शनगर, अजमेर।

.....*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री बी0एस0 शेखावत, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक— 10.01.2019

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्डेड फराली आटा विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.04.2016 को 04.30 पीएम बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स एनपीएस फूड्स, प्राईवेट बस स्टैण्ड के पास, अजमेर पर पहूँचे श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा उपस्थित मिले जिनके द्वारा फलारी आटा जय श्री ब्राण्ड के आम जनता को फलाहार बनाकर बेचने हेतु रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान फलारी आटा में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 4 पैकेट 200/– रूपयें श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचन्द शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा फलारी आटा को चार पैकेट में बराबर–बराबर 500–500 ग्राम मात्रा में डालने के पश्चात पैकेट के लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–1326 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/4930 दिनांक 11.05.2016 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. 226/एक्ट/2016/276 दिनांक 29.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया फलारी आटा मिसब्राण्डेड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 03.02.2017 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 03.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 23.06.2017 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 19.07.17 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि वास्ते जांच लिया गया फलारी आटा अप्रार्थी 2 से सीलबन्द प्राप्त हुआ उसी प्रकार सीलबन्द को ही विक्रेताओं को बेचा गया है एवं जांच रिपोर्ट के परिणाम में 0.01 अवमानक है जो कि नगण्य है। उन्होने आगे कथन किया कि जांच रिपोर्ट के क्रम संख्या 2 से 6 में वर्णित परिणाम मानक स्तर के सूचकांक के मध्य है जिससे स्पष्ट है कि परीक्षण पदार्थ अवमानक, बाह्य पदार्थ की मिलावट अथवा निम्न स्तर की गुणवत्ता का नहीं होकर केवल मिसब्राण्ड पाया गया हैं। इस प्रकार

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण धारा 3(1) (zf) (c) (i) of Food safety and Standards Act 2006 का ही दोषी है। अतः न्यायहित में परिवाद निरस्त किया जावें।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा मिसब्राण्ड फलारी आटा का विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं अप्रार्थीगण अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी पाये गये हैं। इस हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 एवं धारा 52 में जुर्माना निर्धारित है।

चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा व अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा व अन्य को रु. 4000/– (अक्षरे रूपये चार हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(एम0एल0 नेहरा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2019/ दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3– श्री पर्व शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र शर्मा, मैसर्स एनपीएस फूड्स, प्राईवेट बस स्टैण्ड के पास, अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner